न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 17/2024

बउनवान

उमा मेहता आयु 34 वर्ष पुत्री श्री सीताराम पत्नि जीतेश कुमार जाति किराड निवासी ग्राम कोटड़ा तहसील बारां जिला बारां हाल निवासी रीछडिया तहसील रामगंतमण्डी जिला कोटा, राज0

अपीलांटा

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज० — रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी इंतकाल न० 453 दिनांक 19.05.2023 तहसीलदार बारां

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः 1. श्री भगवान सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांटा)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 17.01.2025

अपीलांटा की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटा की पैतृक सहखातेदारी की आराजी वाके ग्राम कोटड़ा खाता संख्या 121 खसरा नंबर 13, 149, 243, 271, 367, 373, 95, 96, 97 कुल किता 9 रकबा 4.21 है. में अपीलांटा का 1/7 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण खोलते समय अपीलांटा का नाम उमा मेहता के स्थान पर सहवन से ओमा कुमारी गलत दर्ज कर दिया। जबकि अपीलांटा का आधार कार्ड, स्कूल रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात में नाम उमा मेहता दर्ज है। नाम गलत होने से अपीलांटा को उक्त भूमि पर सरकारी सुविधाएं तथा के.सी.सी. का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नं0 453 दिनांक 19–05–2023 निरस्त किया जाकर अपीलांट के सही नाम उमा मेहता के नाम से पुनः इन्तकाल खोले जाने का आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांटा एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांटा का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक एकाउंट, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जन आधार कार्ड आदि में उमा मेहता पुत्री सीताराम पत्नि जीतेश कुमार दर्ज है, लेकिन इंतकाल खोलते समय उमा मेहता के स्थान पर ओमा कुमारी दर्ज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 453 दिनांक 19.05.2023 वाके ग्राम कोटड़ा को निरस्त किया जाकर अपीलांटा का नाम ओमा कुमारी के स्थान पर उमा मेहता दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांटा ने सभी सहखातेदारान के शपथ पत्र पेश किये।

Signature Not Verified

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने [illegible] कि इंतकाल खोलते समय मजमे आम की पूछताछ करने पर अपीलांटा [illegible] नाम पटवारी ह[illegible] ओमा कुमारी ही बताया गया तथा उसी आधार पर पटवारी हल्का [illegible] इसी आ[illegible] नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। अतः अपील अप[illegible]वे।

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:07:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटा द्वारा अपील के समर्थन में ओमा कुमारी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम उमा मेहता होने के संबंध में आधार कार्ड, बैंक एकाउंट, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जन आधार कार्ड की छायाप्रति तथा ग्राम कोटड़ा की आराजी खाता संख्या 121 कुल किता 9 रकबा 4.21 है. के सभी सहखातेदारान के शपथ पत्र पेश किये। ऐसी स्थिति में अपीलांटा की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर ग्राम कोटड़ा का नामान्तरकरण संख्या 453 दिनांक 19.05.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक सीताराम पुत्र प्रभूलाल जाति किराड़ निवासी कोटड़ा के विधिक वारिसान के संबंध में जांच कर पुनः नये सिरे से नामांतकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:07:15 IST
Reason: SelfAttested